

MEMS- 2025/740
SPD

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर. राजसमेर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सुपरी

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुपरी व भू.अ.नि. सुपरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राजसमेर / नायब तहसीलदार सुपरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुपरी तहसील राजसमेर व जिला सुपरी की जमाबन्दी सम्वत् 2018-19 में खाता संख्या 18 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>सुपरी</u>	<u>18</u>	<u>दुरुस्ती</u> <u>के अमलदारी</u>	<u>सुपरी</u> <u>अमलदारी</u>

(W)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर. _____

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार _____ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री _____ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(W)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर